आदेश की नकल ... हुक्म ... में जारी

न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

राजस्व अपील संख्या :—01 / 2019

तुलसीराम पुत्र रघुनाथसिंह जाति जाट निवासी हंतरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

....अपीलान्ट

बनाम

1. ज्ञानसिंह } पुत्रगण स्व0 रघुनाथ
2. हरवल्लभ }
3. भगवती पत्नि स्व0 रघुनाथ

जातियान जाट निवासीयान हंतरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

.......रेस्पो0

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट विरुद्व आदेश दिनांक 05.12.2012 ग्राम पंचायत हन्तरा बावत नामान्तकरण संख्या 879 ग्राम हंतरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

————

उपस्थितः—

1. श्री महाराजसिंह डागुर अधिवक्ता अपीलान्ट
2. श्री विजय सिंह कुन्तल अधिवक्ता रेस्पो0

निर्णय **दिनांक 05.08.2021**

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0भू0राजस्व अधिनियम (मय प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम) विरूद्व आदेश दिनांक 05.12.2012 द्वारा ग्राम पंचायत हन्तरा इस आशय कि पेश की है कि वाके ग्राम हन्तरा तहसील नदबई स्थित आ0ख0न0 1017 / 0.37,147 / 0.18, 1703 / 0.08, 195 / 0.26, 196 / 0.44, 198 / 0.57, 2338 / 0.16, 3208 / 0.14, 3214 / 0.16, 3221 / 0.20, 3222 / 0.23, 374 / 0.26, 3897 / 2355 / 0.44, 488 / 0.15, 513 / 0.12, 644 / 0.20, 818 / 0.01, 819 / 0.05, 840 / 0.08, 848 / 0.20, 906 / 0.08, 952 / 0.08, 993 / 0.03 किता 23 रकबा 4.49 है0 में 1 / 2 हिस्सा, आराजी खसरा नम्बर 2257 / 0.34 के 1 / 3 हिस्सा, 1762 / 0.10, 1763 / 0.08, 1764 / 0.08, 1765 / 0.13, 1766 / 0.09 किता 5 रकबा 0.48 है0 में 1 / 4 हिस्सा तथा आ0ख0न0 413 / 0.18, 2413 / 0.02, 2414 / 0.05, 2415 / 0.08, 2416 / 0.08 का 1 / 4 हिस्सा का अपीलान्ट अकेला खातेदार

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0

काश्तकार है। रेस्पोडेन्ट्स का उक्त आराजी के किसी भाग से कोई सबंध नहीं है। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट्स का पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार है:–

हरगुन (मृत)

रघुनाथ सिंह (मृत) — उम्मेदसिंह (मृत)

तुलसीराम (अपीलान्ट) — सौमोती(मां) मृतक — भगवती — ज्ञानसिंह — हरिबल्लभ

मंगली — परमानन्द — कप्तानसिंह — बबलूराम — तुरसा — शकुन्तला

अपीलान्ट की माता सौमोती की मृत्यु हो चुकी है। रेस्पो0 संख्या 3 अपीलान्ट की सौतेली माता है। जिससे रेस्पोडेन्ट्स 1 व 2 पैदा हैं। विवादित आराजी पैतृक आराजी है। जिसमें रेस्पोडेन्ट्स का कोई हक व हिस्सा नहीं है। रेस्पोडेन्ट्स 1 व 2 मृतक रघुनाथ सिंह की अधर्मज संतान हैं। रेस्पो0 संख्या 3 रघुनाथसिंह की विवाहित पत्नी नहीं होने के कारण विवादित आराजी में कोई हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है।

रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 लगायत 3 ने राजस्व कार्मिको से सांठ–गांठ कर मौका व कानून के विरूद्व उक्त आराजी के 3/4 हिस्सा पर खातेदारी के इन्द्राज करा लिये हैं जो गैर–कानूनी होने से कलमजन किये जाने योग्य है। विवादित आराजी का रेस्पो0 का कोई कब्जा काश्त नहीं है। बिना क़ब्जे की जांच किये अपीलाधीन आदेश पारित करने में तहत न्यायालय ने भारी भूल की है। तहत न्यायालय के उक्त आदेश की अपीलान्ट को कोई जानकारी नहीं थी, पटवारी हल्का द्वारा बताने पर व नामान्तकरण की नकल लेने पर तहत न्यायालय के अपीलाधीन आदेश की दिनांक 14.01.2019 को जानकारी होने की तिथि से अपील अन्दर मियाद पेश की जा रही है। अंत में अपीलान्ट ने अपील स्वीकार कर नामान्तकरण संख्या 879 ग्राम हन्तरा दिनांक 05.12.2012 ग्राम पंचायत हन्तरा को निरस्त करने की प्रार्थना की है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये तहत आदेश की प्रमाणित प्रति संलग्न पत्रावली है। पत्रावली पर योग्य अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०

अपीलान्ट के अभिभाषक ने अपने तर्को में अपील में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुये कथन किया है कि अपीलान्ट के पिता रघुनाथ सिंह की दो पत्नियां क्रमशः सौमोती व रेस्पो0 स0 3 भगवती थी। अपीलान्ट की माता सौमोती की मृत्यु हो चुकी है। भगवती अपीलान्ट की सौतेली माँ है, रेस्पो0 1 व 2 अधर्मज संतान हैं। रेस्पो0 3 की शादी आरंभ से ही शून्य हैं। शून्य शादी से उत्पन्न संतान अधर्मज होने के कारण विवादित आराजी में उन्हें कोई अधिकार व हिस्सा प्राप्त नहीं हो सकता और रेस्पो0 स0 3 भी विधिक विवाहित पत्नी नहीं होने से आराजी में हिस्सा लेने के अधिकारिणी नहीं है। पूर्व में भी रेस्पो0 स0 1 व 2 ने विवादित आराजी में से आधा हिस्सा लेने हेतु एक दावा संख्या 24/2009 उनवानी ज्ञानसिंह वगै0 बनाम रघुनाथ वगै0 न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई के समक्ष प्रस्तुत किया था जो दिनांक 8.10.2012 को अदम हाजिरी एवं अदम पैरवी में न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुका है। इस कारण अब रेस्पो0 स0 1 लगायत 3 के विरूद्व एस्टोपल का सिद्वान्त भी लागू होता है। अतः अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

अभिभाषक अपीलान्ट का यह भी कथन है कि अपीलाधीन नामान्तकरण में दर्ज आराजी पैतृक आराजी है। रघुनाथ सिंह की स्वअर्जित आराजी नहीं है। पैतृक आराजी होने के कारण भगवती व उसकी अधर्मज संतान ज्ञानसिंह व हरबल्लभ को पैतृक आराजी में कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है। अभिभाषक अपीलान्ट ने उपरोक्त बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त RBJ 2003 पेज 327, RBJ 2003 पेज 235 प्रस्तुत की हैं।

रेस्पो0 के अभिभाषक द्वारा अपनी लिखित बहस पेश कर निवेदन किया है कि मृतक रघुनाथ सिंह की शादी सौमोती नाम की औरत से हुई जिससे अपीलान्ट पैदा हुआ । सौमोती की मृत्यु के बाद रघुनाथ सिंह द्वारा दूसरी शादी रेस्पो0 स03 भगवती से कर ली जिससे रेस्पो0 स0 1 व. 2 पैदा हुये। रघुनाथसिंह की मृत्यु के बाद उनका विरासत का नामान्तकरण संख्या 879 दिनांक 05.12.2012 ग्राम पंचायत हन्तरा द्वारा स्वीकार किया गया, ज़िसके विरूद्व अपीलान्ट द्वारा सन् 2019 मे अपील पेश की गई है जो कि मियाद बाहर है। राजस्व ग्रुप की अधिसूचना एफ 5(21) राजस्व ग्रुप -4/80/85 दिनांक 04.09.1982 प्रभाव में है जिससे धारा 135(1) की शक्तियां ग्राम पंचायत को प्रदान की गई थी जिसमें ग्राम पंचायत द्वारा पारित नामान्तकरण की अपील सुनने का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को दिया गया था। परन्तु उस क्षेत्राधिकार को दिनांक 19.11.1983 के आदेश के द्वारा उपखण्ड अधिकारी को ग्राम पंचायत के नामान्तकरण के विरूद्व अपील सुनने के अधिकार दे दिये गये। इस प्रकार यह अपील न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार में नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। वैसे भी यह अपील आसधारण देरी से पेश की गई है। अपीलान्ट को नामान्तकरण की पूर्व से ही जानकारी थी। विलम्ब को माफ करने के लिए अपीलान्ट का कोई स्पष्ट कारण नहीं है।

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0

अभिभाषक रेस्पो0 न्यायिक दृष्टांत 2017 RRT(1) पेज 117 (हाईकोर्ट), RRT / Sup. पेज 158 व 2017 RRT–II पेज 1331 (हाईकोर्ट), 2019 RRT पेज 593 (सुप्रीमकोर्ट) पेश किये है।

हमने अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा की गई बहस एवं रेस्पोडेन्ट्स के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया। प्रथमतः अपील के मियाद बिन्दु पर विचार किया गया। अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में यह स्पष्ट उल्लेख किया है कि अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 11.1.2019 को हल्का पटवारी के बताने पर हुई है जिसकी नकल दिनांक 14.1.2019 को लेने पर यह अपील पेश की है। जिसके सबंध में अपीलान्ट द्वारा अपना शपथ–पत्र भी पेश किया है। रेस्पोडेन्ट्स द्वारा इस सबंध में धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का जबाव पेश किया है जिसमें अपीलान्ट द्वारा अपील को काफी विलम्ब से प्रस्तुत करने का हवाला देते हुये अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने की रेस्पो0 द्वारा प्रार्थना की है, परन्तु न्यायालय का यह मानना है कि अपील में यदि कानूनी बिन्दु महत्वपूर्ण हो और उसमें सार प्रतीत होता है तो मियाद के बिन्दु को गौण कर देना चाहिये तथा मियाद के बिन्दु पर अदालत को कठोर निर्णय नहीं लेना चाहिये। इस सबंध में न्यायिक दृष्टांत आरबीजे 2006 पेज 198, आरबीजे 2004 पेज 286, आरआरटी 2012 (1) पेज़ 182, आरबीजे 2006 पेज 796 वखूबी चस्पा होते है। जिनमें न्यायालयों को मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाये जाने के निर्देश है। इसलिये उक्त न्यायिक दृष्टांतों के परिपेक्ष्य में हस्तगत अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

तत्पश्चात् अपील के गुणावगुण के निस्तारण हेतु पत्रावली का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपील के साथ नामान्तकरण संख्या 879 की सत्यप्रतिलिपि पेश की है तथा जमाबंदी सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 42, खाता संख्या 259, खाता संख्या 260, खाता संख्या 28 की फोटोप्रति पेश की है। नामान्तकरण संख्या 879 के अवलोकन से यह सिद्व है कि उक्त नामान्तकरण रघुनाथसिंह के फौत होने के बाद विरासत के आधार पर तुलसीराम, ज्ञानसिंह, हरवल्लभ व भगवती के हक में ग्राम पंचायत हन्तरा द्वारा स्वीकृत किया गया है। जिसमें सजरा के अनुसार रघुनाथ के वारिस तुलसीराम, ज्ञानसिंह, हरिवल्लभ (पुत्रगण) भगवती (बेवा) सौमोती (बेवा फौत) दर्शाया हुआ है। इसलिए उक्त नामान्तकरण से अपीलान्ट का यह तर्क सही साबित होता है कि रघुनाथ सिंह की दो पत्नियां सौमोती व भगवती रहीं है। अपीलान्ट ने अपनी अपील में यह भी कहां है कि सौमोती से अपीलान्ट तुलसीराम का जन्म हुआ तथा भगवती से रेस्पोडेन्ट्स ज्ञानसिंह व हरिवल्लभ का जन्म हुआ। इस तथ्य की पुष्टि स्वंय रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अपनी लिखित बहस से की है। इसलिये यह निर्विवाद है कि अपीलान्ट सौमोती का पुत्र है जो कि रघुनाथ वैध पत्नी रही है। जहां तक रेस्पो0 स0 3 भगवती के रघुनाथ की वैध पत्नी होने का प्रश्न है तो इस सबंध में रेस्पो0 द्वारा किसी प्रकार की कोई

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0

दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। नामान्तकरण के अवलोकन से यह भी जाहिर है कि अपीलान्ट द्वारा अपील के माध्यम से उठाई गई आपत्तियों की कोई जांच अपीलाधीन नामान्तकरण में नहीं की गई है। इस सबंध में सम्पूर्ण जानकारी किया जाना आवश्यक है और उपरोक्त तथ्यों के आधार पर जांच कर नामान्तकरण पुनः भरा जाना हमारे न्यायिक मत में आवश्यक प्रतीत होता है।

इस प्रकार उपरोक्त विवेचनानुसार हम अपील अपीलान्ट आशिंक रूप से स्वीकार किया जाना पाते है ।

अतः आदेश है कि :–

अपील अपीलान्ट आशिंक रूप से स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण संख्या 879 दिनांक 05.12.2012 ग्राम पंचायत हन्तरा तहसील नदबई बावत् ग्राम हन्तरा तहसील नदबई जिला भरतपुर खारिज किया जाता है। तहसीलदार नदबई को प्रति प्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर दोनों पक्षों को साक्ष्य एवं सबूतों का अवसर देते हुये विधिवत जांच एवं सुनवाई कर पुनः नामान्तकरण निर्णित करें।

निर्णय आज दिनांक 05.08.2021 को सुनाया गया।

(हिमांशु गुप्ता)
जिला कलक्टर
भरतपुर